न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामाँ

मुकदमा नं0 35/2022

1–दर्शनलाल पुत्र ताराचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलाना तहसील कामाँ जिला डीग
2–सन्तोष पत्नी करतार चन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलाना
3–मानसिंह पत्र करतारचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलाना
4–रामसिंह पुत्र करतार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलाना
5–अकसीदा पत्नी अंजूम खान जाति मेव निवासी मकान नं0 872 तवेला मौहल्ला नजदीक जीजी बैंक घसेरा मेवात हरियाणा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कामाँ जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

1– श्री राजेन्द्र कुमार प्रार्थी अधिवक्ता
2– श्री बृजलाल प्रार्थी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

अन्तर्गत धारा–111, 128, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया कि भू प्रबन्धक विभाग द्वारा प्रार्थी नं0 1 की खातेदारी के पूर्व साविक खसरा नम्बर 1342/1/0.40, हैक्टेयर के दो नये नम्बर क्रमशः 2773/0.01, 2774/0.39 हैक्टर वाके ग्राम सबलाना तहसील कामाँ के कायम किये गये । करतारचन्द मघ्घरदास पिता व पति प्रार्थीगण नं0 2, 3, 4 की खातेदारी के पूर्व साविक खसरा नम्बर 1342/2 रकवा 0.41 हैक्टर का नया नम्बर 2775 रकवा 0.40 हैक्टर कायम किये गये । भू प्रबन्धक विभाग द्वारा पूर्व के साविक खसरा नम्बर 1342/1, एव 1342/2 के नये नम्बर 2773, 2774, 2775 को जो हाल नक्शा बनाया गया है वह नक्शा प्रार्थीगण के पूर्व व हाल मौका व कब्जा के बिल्कुल विपरीत जाकर बनाया गया है । विधि वजह भू प्रबन्धक विभाग द्वारा बनाये गये नक्शा को प्रार्थीगण के हाल मौका व कब्जा के अनुरूप नक्शा में दुरूस्ती कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ हाल मौका कब्जा के मुताबिक नक्शा सलग्न है ।

प्रार्थीगण नं0 2, 3, 4 के पिता करतचार चन्द की बल्दियत पूर्व राजस्व रिकार्ड में मघ्घरदास दर्ज हो रही थी परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल जमाबन्दी बनाते समय करतारचन्द के पिता का नाम मघ्घरदास के स्थान पर महघरदास के नाम इन्द्राज गलत दर्ज कर दिया गया । जिसे पूर्व की जमाबन्दी सं0 2069–72 में दर्ज करतारचन्द की बल्दियत के नाम हाल जमाबन्दी में महघरदास के स्थान पर मघ्घरदास दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 2773, 2774, 2775 का जो नक्शा बनाया गया है को प्रार्थीगण के हाल मौका व कब्जा के मुताबिक दुरूस्ती कराकर

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ राज०

राजस्व रिकार्ड में करतारचन्द कि बल्दियत महघरदास के स्थान पर मघ्घरदास अंकन किये जाने के आदेश फरमाये ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कामाँ ने अपने पत्रांक/एल0आर0/2022/188 दिनांक 06.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जिसमें बताया है कि खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39, 2775/0.40 की मौका स्थिति चाही गयी । नवीन नक्शा के अनुसार 2775/0.40 करतारदास पुत्र महघरदास कौम राजपूत साकिन सबलाना के नाम दर्ज है तथा जो रास्ते से लगा हुआ है । यानि कि आ0ख0नं0 2775/0.40 आराजी खसरा नम्बर 2773 व 2774 के उत्तर दिशा में स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39, पर अकसीदा पत्नि अंजूमखान जाति मेव निवासी घसेरा मेवात हरियाणा खातेदार के नाम दर्ज है जो नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 2775 के दक्षिण दिशा में स्थित है । मौके के अनुसार खसरा नम्बर 2775/0.40 करतारचन्द पुत्र महघरदास के वारिसान का कब्जा आ0ख0नं0 2773 व 2774 के पूर्व दिशा में स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39 पर अकसीदा पत्नी अंजूम खान जाति मेव का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 2775 के पश्चिम दिशा में स्थित है । जमाबन्दी सं0 2074–77 मे करतारचन्द पुत्र महघरदास जाति राजपूत दर्ज है जबकि जमाबन्दी सं0 2069–72 मे करतार दास पुत्र महघरदास जाति राजपूत दर्ज है । अतः महघरदास के स्थान पर मघ्घरदास किया जाना उचित है । आराजी खसरा नं0 2773/0.01, 2774/0.39 दर्शनलाल पुत्र ताराचन्द जाति राजपूत से अकसीदा पत्नी अजूमदास जाति मेव निवासी घसेरा हरियाणा ने खरीद लिया है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस , नकल मिलान क्षेत्रफल, मिसल बन्दोबस्त, जमाबन्दी सं0 2069, 2072 नकल प्रति सलंग्न किया है ।

बहस अधिवक्ता गण को सुना गया । प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र लिखित तथ्यों को दोहराया तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया सेटलमेन्ट को गलत बताया है । अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जबाव के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि जमाबन्दी सं0 2074–77 मे करतारचन्द पुत्र महघरदास जाति राजपूत दर्ज है जबकि जमाबन्दी सं0 2069–72 मे करतार दास पुत्र महघरदास जाति राजपूत दर्ज है । अतः महघरदास के स्थान पर मघ्घरदास किया जाना उचित है । आराजी खसरा नं0 2773/0.01, 2774/0.39 दर्शनलाल पुत्र ताराचन्द जाति राजपूत से अकसीदा पत्नी अजूमदास जाति मेव निवासी घसेरा हरियाणा ने खरीद लिया है । मौके के अनुसार खसरा नम्बर 2775/0.40 करतारचन्द पुत्र महघरदास के वारिसान का कब्जा आ0ख0नं0 2773 व 2774 के पूर्व दिशा में स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39 पर अकसीदा पत्नी अंजूम खान जाति मेव का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 2775 के पश्चिम दिशा में स्थित है । जिसे शुद्ध किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पक्षकारान अधिवक्ता को सुना । बिन्दुबार निर्णय का विवरण निम्न प्रकार से है :–

बिन्दु नं0 1– वादी द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शे में दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है ,परन्तु पत्रावली बन्दोबस्त से पूर्व का कोई भी नक्शा या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है । जिसके आधार पर हाल के नक्शे में सुधार किया जा सके ।

बिन्दु नं0 2–जमाबन्दी सं0 2069–72 में करतारदास पुत्र मध्धरदास जाति राजपूत दर्ज है । जबकि जमाबन्दी सं0 2074–77 में मध्धरदास के स्थान पर महघरदास कर दिया है जिसे करतारदास पुत्र महघरदास के स्थान पर मध्धरदास किया जाना उचित समझते हैं ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

आ दे श

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू अभिलेख अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाता है जमाबन्दी सं0 2069–72 मे करतार दास पुत्र महघरदास जाति राजपूत दर्ज है । अतः महघरदास के स्थान पर मघ्घरदास किया जाता है । शेष बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया नक्शा बावत चाही गयी शुद्धि की खारिज किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामाँ
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०